कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2327 /12–1 :देहरादूनःदिनांकः 22 मार्च, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषय– जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या 314/2018 डीडीहाट ग्राम ननपापो में हैलीपैड निर्माण हेतु 0.15 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कर्यों हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/OTHERS/146642/2021)

संदर्भ– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक–8बी/यू.सी.पी./09/39 /2023/एफ.सी/1113 दिनांक 06.01.2025.

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके कम में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में 02 बिन्दुओं की सूचना चाही गयी है, जिसकी सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के पत्र सख्या 2163/12–1(2) दिनांक 25–02–2025 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा बिन्दुवार इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गयी है :–

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण आख्या
1	The DFO shall book the case under IFA, 1927 and action taken report shall be submitted.	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 02.12.2024 को आयोजित आर0ई0सी0 की बैठक में प्राप्त निर्देशों के क्रम में सम्बन्धितों के विरूद्व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के स्थान पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 में केश पंजीकृत कर लिया गया है। (**छायाप्रति संलग्न।**)
2	The DFO shal visit the area and submit current status of approach road.	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि एप्रोच मार्ग में कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी है व उक्त स्थल की स्थिति पूर्ववत ही है।
3.	The DFO shall submit status of construction of Helipad, if any.	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि हैलीपेड हेतु प्रस्तावित स्थल पर भी वर्तमान में कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी है व उक्त स्थल की स्थिति भी पूर्ववत ही है।

अतः सूचना संलग्न कर इस आशय से प्रेशित कि प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा एवं प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संर्वधन) अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या :2327/ 12-1 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
3. अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, अस्थाई प्रखण्ड, डीडीहाट, पिथौरागढ़।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

308

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ *(05962) 231099 Fax : 230397*

पत्रांक –2163 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 25/02/2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत मा0 मु0 घोषणा सं0 314 / 2018 डीडीहाट (ग्रम ननपापों) में हैलीपैड निर्माण हेतु 0.15 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्रमीण निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में।**

सन्दर्भ :– **भारत सरकार की पत्र सं0– 8बी / यू0सी0पी0 / 09 / 39 / 2023 / एफ.सी. / दि0 06.01.2025**

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के संबंध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 4796/12–1 दिनांक 21.02.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न– तीन प्रतियों में।

स0अधि0 / प्रभा0 / पिथौरागढ़
अ0 कार्य करें
प्रधान स0 / नो0अधि0
4-3-2025

भवदीय

25/2/25
(डॉ धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून
संचिका सं0 ... 12-1
पत्रावली ...
दिनांक ... 4-3-25

अनुभाग 25 FEB 2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

पत्रॉक:–4796 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 21 फरवरी, 2025।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:– जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत मा0 मु0 घोषणा सं0 314/2018 डीडीहाट (ग्राम ननपापो) में हैलीपैड निर्माण हेतु 0.15 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– भारत सरकार की पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/09/39/2023/एफसी0 दिनांक 06.01.2025 व दिनांक 02.12.2024 के आयोजित आर0ई0सी0 की बैठक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में आयोजित आर0ई0सी0 की बैठक दिनांक 02.12.2024 में दिये गये दिशा–निर्देशों व भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के कम में अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित है–

क्र0सं0	बिन्दु	आख्या
1	The DFO shall book the case under IFA, 1927 and action taken report shall be submitted.	दिनांक 02.12.2024 को आयोजित आर0ई0सी0 की बैठक में प्राप्त निर्देशों के कम में सम्बन्धितों के विरुद्ध वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के स्थान पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 में केश पंजीकृत कर लिया गया है (प्रपत्र संलग्न)।
2	The DFO shall visit the area and submit current status of approach road.	अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि एप्रोच मार्ग में कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी है, व उक्त स्थल की स्थिति पूर्ववत ही है।
3	The DFO shall submit status of construction of heipad, if any.	हैलीपेड हेतु प्रस्तावित स्थल पर भी वर्तमान में कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी है व उक्त स्थल की स्थिति भी पूर्ववत ही है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:– यथोक्त।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

रेंज केश सं०- 16/डीडीहाट/2022-23

वन विभाग उत्तराखण्ड वृत्त उ० कु० अल्मोड़ा खण्ड पिथौरागढ़

वन्य अपराध जमीन खुदे-पुदे पायी जाना प्रसुचना सं० (04) दिनांक 4/10/2022 रेंज डीडीहाट

1- नाम/पिता का नाम दिनेश सिंह s/o श्री मोहन सिंह ग्राम - ननपांपो त० - डीडीहाट जिला - पिथौरागढ़

2- साक्षी का नाम नरेन्द्र सिंह व०र०, प्रवीण भट्ट व०र०, कु० दीपा व०र०

3- कथित अपराध का पूरा विवरण और ननपांपो के खेल मैदान की जमीन का खुदे पुदे करना दिनांक 4/10/2022

4- मूल्य

5- चालान एवं अनुसन्धान ~~वन संरक्षण अधिनियम 1980 धारा 1 6~~ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33

6- प्रसूचना के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख दिनांक 4/10/2022 को देवचूला का० कि० 6 का गश्त करने के बाद ननपांपो वा०पं० का गश्त किया गया, गश्त के दौरान गांव के खेल मैदान पर उस जमीन को जगह-जगह खोदा गया था व पत्थर इकट्ठा किये गये थे, सरपंच व ग्राम प्रधान को संपर्क करने पर पता चला कि इसकी खुदाई आदि कार्य दिनेश सिंह द्वारा की गई थी, दिनेश सिंह से संपर्क कर मौके पर बुलाया गया, तो उसके द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित हैलीपैड हेतु रास्ते का चौड़ीकरण किया जा रहा है इसमें मेरा टेण्डर स्वीकृत है, मुझे यह जानकारी नही थी कि विभाग से वन भूमि हस्तांतरण की भी कार्यवाही की जाती है. साथ ही ठेकेदार द्वारा खेल के मैदान को व० पं० या सि० भूमि की जानकारी होने से भी इनकार किया, कार्य को रोका गया और ठेकेदार को समझाया गया कि जब तक अनुमति प्राप्त नही होती है. तब तक कार्य नही किया जाय,

अतः जुर्म केश इजराय कर महोदय की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

मूल में उप प्रभागीय वनाधिकारी महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन क्षेत्राधिकारी
डीडीहाट।

नरेन्द्र सिंह क्याल
व०दी० उ० (?)

ऑफेन्स ऑफ रिपोर्ट केश संख्या - 16/डीडीहाट/2022-23

अपराधी का नाम - दिनेश सिंह S/O श्री मोहन सिंह ग्राम - ननपापो तहसील - डीडीहाट
जिला - पिथौरागढ़

साक्षी का नाम - नरेन्द्र सिंह व.र. प्रदीप भट्ट व.र. कुमारी दीपा व.र.

अपराध का विवरण → ननपापो के खेल मैदान की जमीन के खुर्द बुर्द करना

महोदय

आज दिनांक 4-10-2022 को देवचूला क०का० 6 का गश्त करने के बाद ननपापो वन पंचायत का गश्त किया गया गश्त के दौरान गाँव के खेल मैदान पर जगह-जगह खोदा गया था व पत्थर इकट्ठा किये गये थे सरपंच व ग्राम प्रधान को सम्पर्क करने पर पता चला की खुदाई दिनेश सिंह ग्राम - ननपापो त० डीडीहाट जि० पिथौरागढ़ द्वारा की गई है दिनेश सिंह से सम्पर्क करने के बाद उसे मौके पर बुलाया गया. मौके पर पहुँचने पर उसने बताया कि यह जमीन प्रस्तावित है और हैलीपैड हेतु रास्ते का चौड़ीकरण किया जा रहा है. इस में मेरा टेण्डर भी स्वीकृत है. दिनेश सिंह से पता किया गया कि इस भूमि की जमीन हस्तान्तरण की गई है तो उसे इस की जानकारी नहीं थी कार्य रोका गया और दिनेश सिंह ठेकेदार को बताया गया की जब तक इस की अनुमति नहीं मिलती है, तब तक कार्य नहीं किया जायेगा तभी दिनेश सिंह ने अपना अपराध कबूला गया और विभागीय नियमानुसार जो भी मुआवजा पड़ता है. मैं उसे देने को तैयार हूँ और आगे किसी प्रकार की अदालती कारवाही नहीं चाहता हूँ और आगे ऐसी गलती नहीं करूंगा

अपराधी द्वारा दिनांक 28/12/2022 को रेन्ज केश ई-3 संख्या 10 पृष्ठ संख्या 468 में धनराशि 75000.00 रुपये माफ जमा की गई तथा केश को प्रशमित करने की विनती की गई

अतः महोदय से निवेदन है की उक्त केश को प्रशमित करने की कृपा करें.

संलग्न - जुर्म केश
बयान

(कमलेश सिंह)
व.र.
डीडीहाट अनुभाग

बयान

मैं दिनेश सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह ग्राम - ननपापो त० - डीडीहाट जिला - पिथौ० अपने पूर्ण होशहवाश मे बिना किसी दवाब के यह बयान देता हूं कि मेरे द्वारा दिनांक 05/10/22 को सानदेव बीट पे देवचूला ब्लाक के अर्न्तगत ननपापो गॉव में खेल मैदान में हैलीपैड हेतू रास्ते का चौडीकरण किया गया। वन विभाग की टीम द्वारा मौके पर आकर मुझ से कार्य करने हेतू अनुमति पत्र मागा गया जो मेरे पास नही था। मुझे विभागीय अनुमति की जानकारी नही थी जिस कारण मेरे द्वारा हैलीपैड हेतू रास्ते का चौडीकरण का कार्य किया जा रहा था। जानकारी के अभाव में मुझ से अपराध हुआ है। मैं अपना जुर्म कुबूल करता हूं। विभाग द्वारा जो भी मुवावजा लिया जाएगा मैं देने को सहमत हूं। उक्त बयान मेरे द्वारा पूरे होशहवाश में दिया गया है।

Dsh
दिनेश सिंह

वन पंचायत ननपांपो में हैलीपैड निर्माण हेतु खेल मैदान को खुर्द-बुर्द करने का नजरिया नकशा

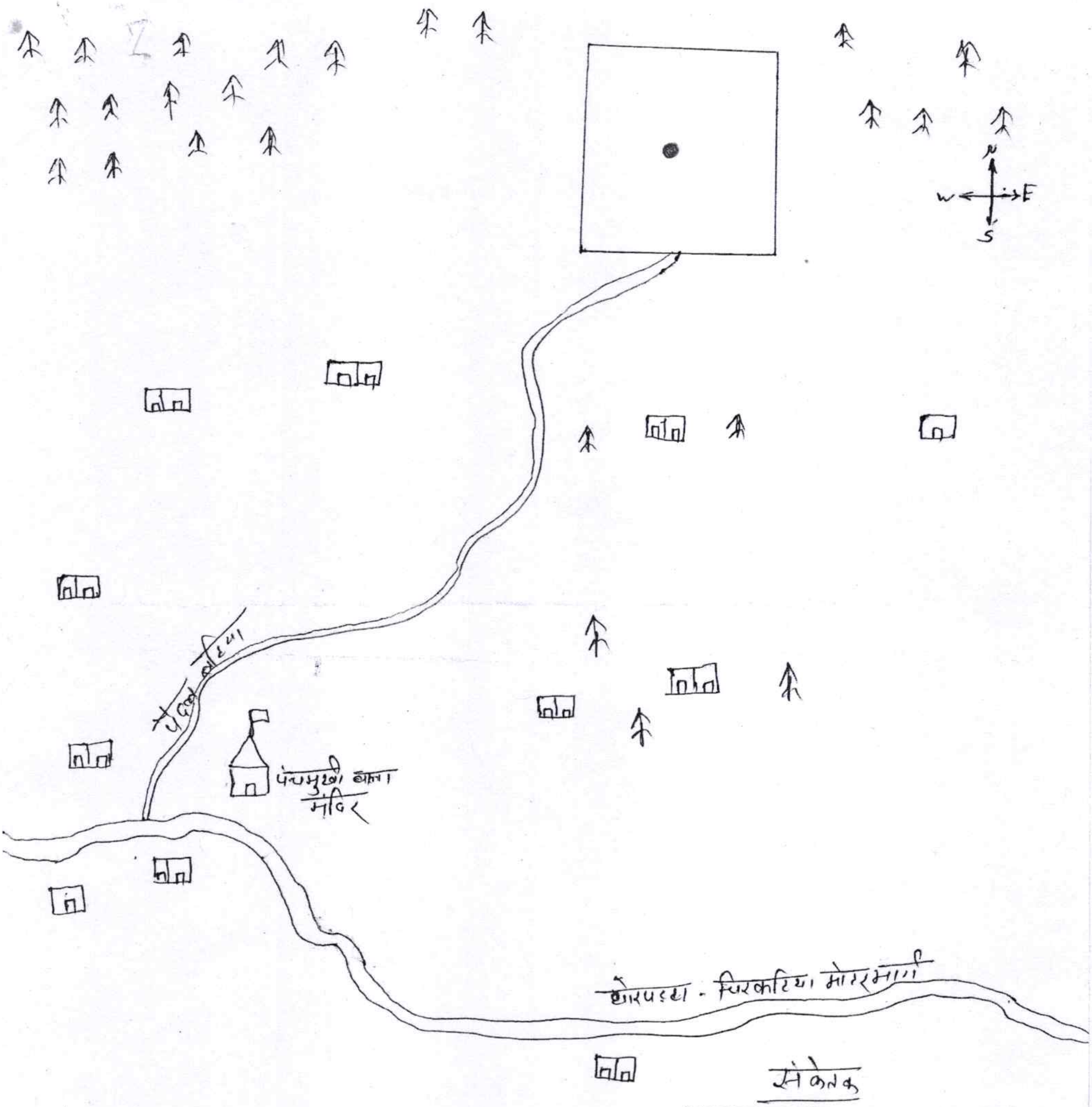

संकेतक

(चिह्न)	मोटरमार्ग
(चिह्न)	पैदल रास्ता
(चिह्न)	वन पंचायत ननपांपो
(चिह्न)	मंदिर
(चिह्न)	घर
(चिह्न)	ननपांपो हैलीपैड

(कमलेश सिंह)
अनुभाग अधिकारी
डीडीहाट अनुभाग

फार्म संख्या ई – 3

"उत्तरी कुमाऊँ"

वन विभाग, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड

पुस्तक संख्या— 10 क्रम संख्या 408

रेंज ________ वन प्रभाग ________ वर्ष 20____

श्री ________ पुत्र श्री ________ पता ________

________ से रुपया ________ (अंकों में) रुपया ________

________ (शब्दों में) दिनांक ________ को ________

________ के भुगतान का प्राप्त किया।

वन क्षेत्राधिकारी
हैड़ाखान वन क्षेत्र
पूरा नाम व सील

दिनांक 28/12/12 ________ 20

@shot by d kohli

रेंज केश संख्या - 36 / 2021-22 / डीडीहाट

2001

पृष्ठ संख्या

वन विभाग उत्तराखण्ड वृत्त उ० कु० अल्मोडा खण्ड पिथौरागढ़

वन्य अपराध जमीन खुदे पुदे प्रसूचना (1) दिनांक 14/3/2022 रेंज डीडीहाट

1. नाम/पिता का नाम प्रवीण सिंह पानू पुत्र श्री खडक सिंह निवासी ग्राम-ननपांपो पो० सानदेव, त० डीडीहाट जिला-पिथौरागढ़

2. साक्षी का नाम - (1) नरेन्द्र सिंह वं०र० (2) हरीश चन्द्र सती, उपराक्षिक, नरेन्द्र सिंह राणा वं०र०

3. कथित अपराध का पूरा विवरण और ननपांपो में वं०पं० की भूमि पर जमीन को खुदे पुदे करना, दिनांक 14/3/2022

4. मूल्य

5. चालान एवं अनुसंधान ~~वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-6~~ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33

6. प्रसूचना के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख दिनांक 14/3/2022 को सानदेव देवचूला ब्लाक का संयुक्त गश्त करने पर ननपांपो गांव के ऊपर वं०पं० की भूमि पर जमीन खुदे पुदे पाई गई, मौके पर कोई भी व्यक्ति नही मिला, ग्रामवासियों से पूछताछ करने पर पता चला कि उक्त जमीन को ठेकेदार प्रवीण सिंह पानू ग्राम ननपांपो द्वारा गांव के खेल मैदान हेतु जाने के लिए लगभग 6 फीट का रास्ता बनाया जा रहा है. ठेकेदार से सम्पर्क करने पर पता चला कि उसके पास रास्ता बनाने का कोई भी अनुमति पत्र नही है. उसने कहा कि मुझे विभागीय अनुमति पत्र के बारे में कोई जानकारी नही है. जानकारी के अभाव में मेरे द्वारा यह अपराध हुआ है, हमारे द्वारा कार्य को वहीं पर रोका गया.

अतः जुर्म केश इजराय कर महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मूल में उप प्रभागीय वनाधिकारी महोदय डीडीहाट की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

वन क्षेत्राधिकारी
डीडीहाट।

(हस्ताक्षर)

(नरेन्द्र सिंह कन्याल)
वं०बी०अ० सानदेव

अन्तिम जाँच रिपोर्ट केश सं- 36/डीडीहाट/2021-22

अपराधी का नाम व पता- प्रवीन सिंह पान्डू पु० खड़क सिंह ग्रा० ननवावों पो० सानदेव
त० डीडीहाट जि० पिथौरागढ़

साक्षी का नाम - नरेन्द्र सिंह व० आ०, हरीश चन्द्र सती उप राजि०, नरेन्द्र सिंह राणा व०म०,

अपराध का विवरण- ननवावों मे व० पं० भूमी पर जमीन की खुदई-पुदई करना,

महोदय

दि० 14-03-2022 को सानदेव देवचूला ब्लाक का सयुक्त गश्त करने पर ननवावो गाँव के ऊपर व०पं० की भूमी पर जमीन खुदई-पुदई पाई गई, मौके पर कोई भी व्यक्ति नही मिला ग्रामवासियों से पूछताछ करने पर पता चला कि उक्त जमीन को ठेकेदार प्रवीन सिंह पान्डू ग्राम ननवावों द्वारा गाँव के खेल मैदान हेतु जाने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, उक्त केश की जाँच मेरे द्वारा किया गया, जाँच मे ठेकेदार प्रवीन सिंह पान्डू पु० खड़क सिंह ग्रा० ननवावों पो० सानदेव त० डीडीहाट जि० पिथौरागढ़ से पूछताछ किया गया पूछताछ मे ठेकेदार प्रवीन सिंह पान्डू द्वारा बताया गया की उसके द्वारा गाँव के खेल मैदान हेतु जाने के लिए लगभग 6 फिट का रास्ता बनाया जा रहा है। उसके पास रास्ता बनाने का कोई भी अनुमति पत्र नही है। उसने कहा कि मुझे विभागीय अनुमति पत्र के बारे मे कोई जानकारी नही है. प्रवीन सिंह पान्डू ने बताया की जानकारी के अभाव के कारण मेरे द्वारा यह अपराध हुवा है।। अपराधी द्वारा अपना जुर्म कबूल किया गया और अपराधी द्वारा बताया गया की मै किसी प्रकार की अदालती कार्यवाही नही चाहता हूँ, विभाग द्वारा जो भी उचित मुवावजा लिया जाता है वह मै देने को तैयार हूँ।

अपराधी द्वारा दि० 28/12/2022 को रैंज ह० सं० 469 मे धनराशि 75000/00 मात्र जमा की गई। तथा केश को प्रसमित करने की विनती की गई।

अत: महोदय से निवेदन है की उक्त केश को प्रासमित करने की कृपा की जाए,

संलग्न = जुर्म केश
बयान

(बलदेव गोस्वामी)
व० द०,
ओखलढुंगा
अनुभाग

बयान

मैं प्रवीण सिंह पानू पुत्र श्री खड़क सिंह निवासी ग्राम - ननपापो पो० - सालदेव तह० डीडीहाट जिला - पिथौरागढ़ अपने पूर्ण होश हवाश मे यह बयान देता हूँ की मेरे द्वारा दिनांक 14/3/2022 को ननपापो गाँव के ऊपर वन पंचायत की भूमि मे ननपापो गाँव के खेल मैदान हेतु जाने के लिए लगभग 6 फीट का रास्ता बनाया जा रहा थी वन विभाग डीडीहाट की टीम द्वारा मौके पर आकर मुझसे कार्य की अनुमति पत्र माँगा गया, मैं अनुमति पत्र नही दिखा पाया, वन विभाग की टीम द्वारा कार्य को मौके पर रोका गया, और बताया गया बिना विभागीय अनुमति पत्र के कोई कार्य नही किया जाता है वन विभाग की टीम द्वारा मुझे विभागीय अनुमति पत्र के बारे मे जानकारी दी जानकारी के अभाव मे मुझसे यह अपराध हुआ है मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नही चाहता हूँ विभाग द्वारा जो भी उचित मुआवजा लिया जाता है देने को सहमत हूँ, उक्त बयान मेरे द्वारा पढ़कर पूर्ण होश - हवास मे पढ़कर सुनकर दिये जा रहे है

(प्रवीन पानू)

ग्राम पंचायत ननपांपो के खेल मैदान तक जाने के लिए निर्मित रास्ते का नजरिया नक्शा :-

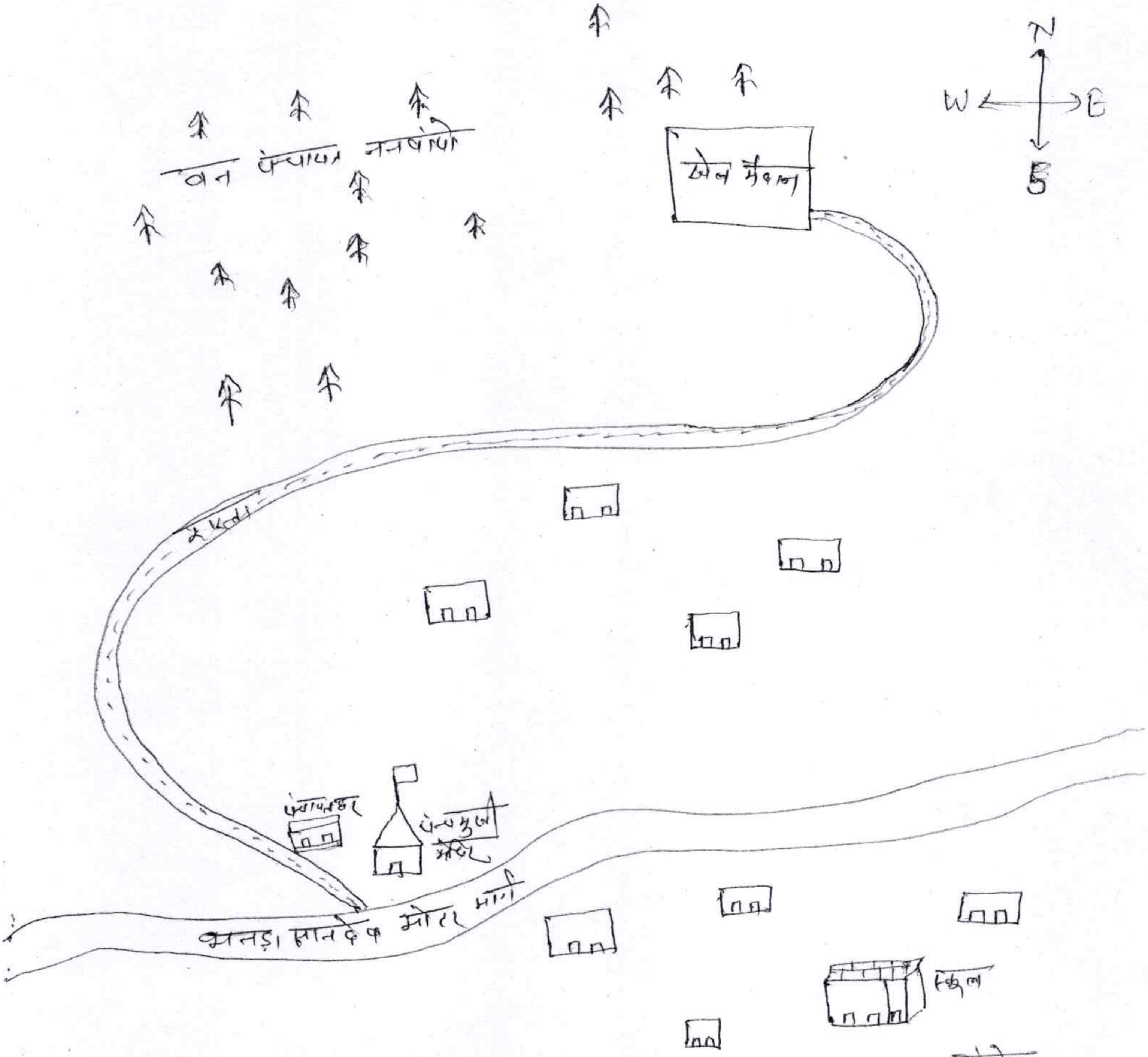

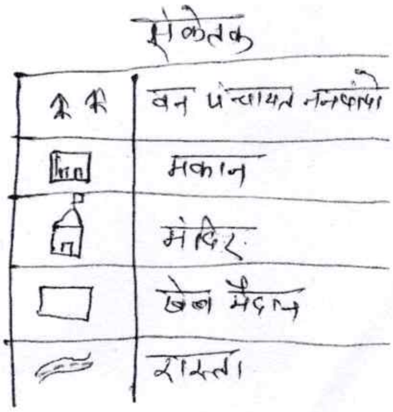

Bdel
(बलदेव गोस्वामी)
व० द०

फार्म संख्या ई – 3

"उत्तरी कुमाऊँ"

वन विभाग, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड

पुस्तक संख्या– 10 क्रम संख्या 609

रेंज ________ वन प्रभाग ________ वर्ष 20________

श्री ________ पुत्र श्री ________ पता ________

________ से रुपया ________ (अंकों में) रुपया ________

________ (शब्दों में) दिनांक ________ को ________

________ के भुगतान का प्राप्त किया।

दिनांक ________ 20

वन क्षेत्राधिकारी
मुहर सील

रेंज केश सं०- 37/डीडीहाट/2021-22

पृष्ठ संख्या 2002

वन विभाग उत्तराखण्ड वृत्त उ० कु० वृत्त अल्मोड़ा खण्ड पिथौरागढ़

वन्य अपराध जमीन को खोदना प्रसूचना (02) दिनांक 29/3/2022 रेंज डीडीहाट

---

1. नाम/पिता का नाम पूरन सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह ग्राम- ननपांपो, पो०-सानदेव, त० डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़
2. साक्षी का नाम नरेन्द्र सिंह वं०र०, राजेन्द्र सिंह माली, नरेन्द्र सिंह राणा वं०र०
3. कथित अपराध का पूरा विवरण और ननपांपो में सि० भूमि पर जमीन को खोदना.

   दिनांक 29/3/2022

4. मूल्य
5. चालान एवं अनुसंधान ~~वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 1-6~~ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33
6. प्रसूचना के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

दिनांक 29/3/2022 को सानदेव बीट के देवचूला ब्लाक में ननपांपो का गश्त करने पर देखा गया कि ननपांपो मे कुछ जमीन खुदी हुई पाई गई इधर उधर देखने पर कोई भी व्यक्ति दिखाई नही दिया, गांव के कुछ गणमान्य व्यक्तियों से पूछताछ करने पर पता चला कि उक्त भूमि शायद सि० है. और इसको पूरन सिंह द्वारा खेल मैदान को जाने के लिए रास्ते का चौडीकरण किया जा रहा है, ठेकेदार को मौके पर बुलाया गया, तो उसके द्वारा बताया गया कि मेरा ठेका स्वीकृत हुआ है तभी मैं रास्ते का चौडीकरण कर रहा हूं. रास्ता लगभग 8 फीट चौड़ा बनाया गया था, ठेकेदार को वन संरक्षण अधिनियम व विभागीय अनापत्ति के बारे में समझाया गया, और बिना विभागीय अनुमति के कोई भी कार्य नही होते है करके बताया गया, ठेकेदार द्वारा बताया गया कि आगे से वह बिना अनुमति के कोई भी कार्य नही करेंगे, और कार्य को वही पर रोका गया,

अतः भूमि केश इजराय कर महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मूल में उप प्रभागीय वनाधिकारी डीडीहाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
वन क्षेत्राधिकारी
डीडीहाट।

(हस्ताक्षर)
(नरेन्द्र सिंह कफल्ट)
व० मो० उ० क० ...

अन्तिम जाँच रिपोर्ट रेन्ज केश संख्या - 37/डीडीहाट/2021-22

1- अपराधी का नाम- पूरन सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह ग्राम - ननपापो पो०-सानदेव
तह० - डीडीहाट जिला - पिथौरागढ़

2- साक्षी का नाम - नरेन्द्र सिंह व०र०, नरेन्द्र सिंह राणा व०र०, राजेन्द्र सिंह माली

3- अपराध का विवरण - ननपापो मे सिविल भूमि मे अवैध खुदान

महोदय,

दिनांक 21/3/2022 को सानदेव बीट के देवकुला ब्लाक मे ननपापो मे गश्त करने पर देखा गया की ननपापो मे कुछ जमीन खुदि पुदि पाइ गइ, उक्त केश की जाच मेरे द्वारा की गइ, जाँच करने पर पाया गया की उक्त भूमि सिविल भूमि है पूछताछ करने पर पता चला की उक्त भूमि को ठेकेदार पूरन सिंह पाबू पुत्र श्री खड़क सिंह ग्राम - ननपापो तह० - डीडीहाट द्वारा गाँव के खेल मैदान को जाने के लिए रास्ते का चौड़ीकरण कर रहा हूँ, किया जा रहा है मौके पर जाकर ठेकेदार पूरन सिंह से पूछताछ करने पर बताया गया मेरा ठेका स्वीकृत हुआ है तभी मे रास्ते का चौड़ीकरण कर रहा हूँ, पूरन सिंह द्वारा लगभग 8 फीट चौड़ा रास्ता बनाया गया है ठेकेदार पूरन सिंह को वन संरक्षण अधिनियम व विभागीय क्षतिपूर्ति के बारे मे समझाया गया, विभागीय अनुमति के बिना कोइ कार्य नही होते है बताया गया, अपराधी अपना अपराध स्वीकार करता है किसी प्रकार की अदालती कार्यवाही नही चाहता है अपराधी द्वारा स्वीकार किया गया आगे से बिना अनुमति के कोइ भी कार्य नही करेगा, अपराधी विभाग द्वारा जो भी उचित मुआवजा लिया जाता है देने को तैयार है

अपराधी द्वारा दि० 28/12/2022 को रेन्ज केश बुक E_3 सं० 10 पृष्ठ सं० 470 मे धनराशि 50000.00 मात्र जमा की गइ तथा केश को प्रशमित करने की विनती की गइ

अतः महोदय से निवेदन है की उक्त केश को प्रशमित करने की कृपा करे

संलग्न - मूल केश,
बयान

(सत्यमीत डुँगीन)
व०र०
बेराम/ननपापोदीत

बयान

मै पूरन सिंह s/o खड़क सिंह ग्रा० ननवाती पो० सानदेव त०डीडीहाट जिला० पिथौरागढ़ अपने पूरे होस हवास मे यह बयान देता हूँ कि मेरे द्वारा दिनाँक 29/03/2022 को सानदेव बीट के देवचूला ब्लाक के अन्तर्गत ननवाती गाँव मे खेल मैदान को जाने के लिए रास्ते का चौड़ीकरण किया गया. वन विभाग द्वारा मौके पर आकर मुझसे कार्य करने हेतु अनुमति पत्र माँगा गया. जो मेरे पास नही था। मुझे विभागीय अनुमति की जानकारी नही था जिस कारण मेरे द्वारा ~~जिस कारण मै~~ पूरन सिंह ~~द्वारा~~ रास्ते का चौड़ीकरण कार्य किया जा रहा था. जानकारी के अभाव के कारण मुझसे अपराध हुवा है. मै अपना जुर्म कबूल करता हूँ. विभाग द्वारा जो भी उचित मुआवजा लिया जायेगा मै देने को सहमत हूँ. उक्त बयान मेरे द्वारा पूरे होस हवास मे दिया गया है,

पूरन सिंह

वन पंचायत जनपंधो में हैलीपैड निर्माण हेतु खेल मैदान को जाने वाले रास्ते को खुर्द-बुर्द करने का नजरिया नक्शा

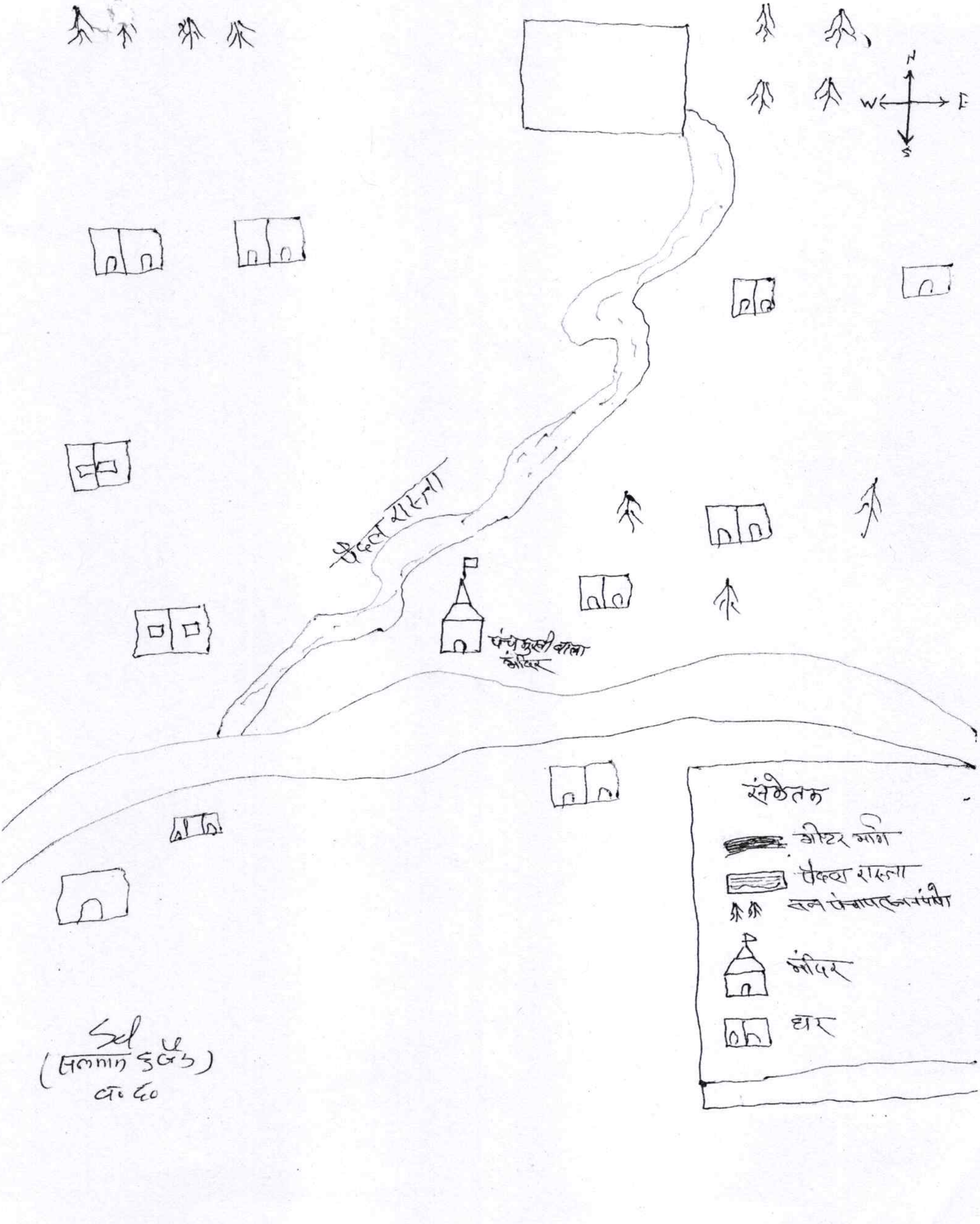

Sd/-
(सलमान कुरैशी)
वा० 60

फार्म संख्या ई – 3

"उत्तरी कुमाऊँ"

वन विभाग, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड

पुस्तक संख्या– 10

क्रम संख्या 420

रेंज [illegible] वन प्रभाग [illegible] वर्ष 20[illegible]

श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] पता [illegible]

[illegible] से रुपया [illegible] (अंकों में) रुपया [illegible]

[illegible] (शब्दों में) दिनांक [illegible] को [illegible]

[illegible] के भुगतान का प्राप्त किया।

[illegible]

दिनांक [illegible] 20

वन क्षेत्र अधिकारी
वनाधिकारी
डीडीहाट वन क्षेत्र
पूरा नाम व सील

©shot by d kohli